

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर बिग्रेड कैम्पस, लोदीपुर, पटना।

## अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1	विज्ञापनदाता का नाम	कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2	परिमाण विपत्र निकी का अंतिम तिथि और समय	14.12.2016 को अपराह्न 03:00 बजे तक।
3	निविदा प्राप्ति की तिथि और समय	15.12.2016 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4	निविदा खुलने की तिथि और समय	15.12.2016 को 03:30 बजे अपराह्न।
5	परिमाण विपत्र निकी का स्थान एवं कार्यालय	(क) अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय। (ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय। (ग) सम्बंधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल संख्या 1 एवं 2, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय। कक्षांक 5 के अनुसार
6	निविदा प्राप्ति का स्थान/कार्यालय	
7	कार्यों का विवरण -	

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि(लाख में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	परिष्कार
1	माल पथ के फुटपाथ का मरम्मत कार्य वर्ष 2016-17	₹1,29,631/-	₹2,600/-	₹500/-	06 महीने	पथ निर्माण विभाग

### विशेष सूचनाएँ :

- पथ निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी यथा स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी में निबंधित अद्यतन नवीनीकृत संवेदक भी निविदा में भाग ले सकते हैं।
- कार्यों के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्गत किये जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य एवं आश्वासन जाति ही अंतिम और मान्य होगा।
- निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कागजात जमा करना अनिवार्य होगा।  
(क) वांछित अग्रधन की राशि जो 3/5 वर्ष फॉरेस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट/राष्ट्रीय वचत पत्र आश्रयक निर्माण के रूप में बैंक गारंटी (भारतीय बैंक एक करोड़ एवं उपर की स्थिति में) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त करना चाहिए।  
(ख) फॉरेस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट/राष्ट्रीय वचत प्रमाण पत्र सिर्फ बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी डाकघर का कृपया किताब रूप में प्राप्त किया जाये।  
(ग) अपने रजिस्ट्रेशन का पूर्ण व्यौर जैसे व्यक्तिगत, संयुक्त, प्रा० लि०, संस्था आदि।  
(घ) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र, वैट नम्बर, सेल टैक्स जमा चुकता पत्र, लेबर लाईसेंस आदि।  
(ङ) विज्ञापित कार्य हेतु अनुभव प्राप्त संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिशत से अधिक/कम या परिमाण विपत्र दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।
- निविदा से संबंधित कार्य के लिए समुचित श्रेणी के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित मशीन एवं उपकरण की मात्रा - दर के अनुक्रम के विस्तृत निविदा में जमा कर सकते हैं। कार्य समाप्तन के समय उक्त मशीनरी एवं प्लाट का अद्यतन विभागीय दर (व्यक्तिगत मरम्मत के विपत्र पर आश्वासन) के अनुसार नया मूल्य निर्धारित करके संवेदक के विपत्र से किया जायेगा। किसी अन्य संवेदक के प्लान्ट से कार्य कराने वाले की स्थिति में प्लान्ट मालिक का संतुष्टि पत्र देना अनिवार्य होगा। सशर्त निविदा अमान्य होगा। साथ ही बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को रद्द करने अथवा उन्हें एक से अधिक संवेदक को भी नॉन-बिना-प्रतिस्पर्धा विभाग के पास सुरक्षित है।
- परिमाण विपत्र आवेदन के साथ संवेदकों को परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अद्यतन निम्नलिखित प्रमाण-पत्र, अद्यतन आयकर एवं वैट का सफाया प्रमाण-पत्र, अद्यतन विद्वान् कर निबंधन प्रमाण-पत्र, एवं लेबर लाईसेंस एवं जाति प्रमाण पत्र की अधिप्राप्ति प्रमाणित करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में भुगतान हो।
- आवेदन की प्रत्याशा में निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं। विभाग में आवेदन की उपलब्धता के आधार पर ही प्राथमिकता के अनुसार संवेदकों को कार्य हेतु प्रमाणित किया जायेगा और कराये गये कार्यों का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- सफल संवेदकों द्वारा निर्धारित राशय सीमा के अन्तर्गत अगर एकरारनामा नहीं किया जाता है तो निविदा के साथ संतान अद्यतन की राशि जमा कर ली जायेगी।
- एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता निविदा प्राप्ति के अंदर कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो निविदा के साथ संतान पत्र जमा की राशि जमा कर ली जायेगी एवं पुनः निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
- संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। निविदा प्राप्ति के बाद जहाँ ही जैसी है के आधार पर ही संबंधित कार्यपूर्ण करने में विशेष वाध्य होंगे।
- कोई समय वृद्धि नहीं दी जायेगी, यह वाच्यता होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर संतोषप्रद ढंग से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निकालन कानूनीकृत रूप में की जायेगी।
- निर्धारित तिथि को सरकारी छुट्टी घोषित होने की स्थिति में परिमाण विपत्र निकी या निविदा की तिथि अगले दिन किया जायेगा।
- विरतुत जानकारी के लिये अधोहरताक्षरी के कार्यालय में कार्य-दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
- परिमाण विपत्र की दर से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार की निविदा अमान्य होगी।
- डिबार्समुक्त का शपथ पत्र देना होगा।
- ₹25/- लाख से अधिक का कार्य अभी तक इस वित्तीय वर्ष में नहीं आवंटित है का शपथ पत्र देना होगा।
- विभागीय संकल्प राह पठित ड्राफ्ट 5937(एस) दिनांक 01.07.2015 के आलोक में पत्रांक 458 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार उक्त कार्यों का आश्वासन अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 1857 अन्वु दिनांक 25.11.2016 के अनुसार निर्धारित है।

कार्यपालक अभियंता  
नई राजधानी पथ प्रमंडल  
पथ निर्माण विभाग, पटना।  
7-12-16  
7/12/16